अत्यन्त महत्वपूर्ण

संख्या-9/2018/1749/60-1-2018

प्रेषक,

रेणुका कुमार,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
महिला कल्याण,
उत्तर प्रदेश।

महिला एवं बाल विकास अनुभाग-1 **लखनऊ : दिनांक : 02 अगस्त, 2018**

विषयः- महिला कल्याण विभाग द्वारा संचालित बाल गृहों में आवासित बच्चों की देख-रेख एवं संरक्षण के कार्य के सशक्तीकरण और क्षमता संवर्धन के लिए ''कोचिंग प्रोग्राम'' के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया अपने पत्र संख्या-955/म0क0निदे0/प्रोबे0/2018-19, दिनांक 26 जुलाई, 2018 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसमें यूनिसेफ एवं महिला कल्याण विभाग के मध्य कार्य-अनुबन्ध के अनुरूप आई.सी.पी.एस. कार्यक्रम के अंतर्गत राज्य में संचालित 10 बाल-गृहों में आवासित बच्चों के देख-रेख एवं संरक्षण कार्य के सशक्तिकरण और क्षमता संवर्धन के लिए विभिन्न गतिविधियों के आयोजन हेतु कोचिंग प्रोग्राम के संचालन के लिए 05 अनुभवी कोच की स्वीकृति प्रदान करने का अनुरोध किया गया है।

इस सम्बन्ध में आपके द्वारा अपने पत्र के साथ प्रेषित कांसेप्ट नोट के अनुसार निम्नलिखित 10 बाल-गृहों/संस्थाओं में उक्त कार्यक्रम संचालन की अनुमति प्रदान की जाती है।

1. राजकीय बाल-गृह (शिशु)/विशेषज्ञ दत्तक-ग्रहण अभिकरण (एस.ए.ए.) इलाहाबाद।
2. राजकीय बाल-गृह (शिशु)/विशेषज्ञ दत्तक-ग्रहण अभिकरण (एस.ए.ए.) लखनऊ।
3. राजकीय बाल-गृह (बालक) लखनऊ।
4. राजकीय बाल-गृह (बालिका) लखनऊ।
5. राजकीय बाल-गृह (बालक) मेरठ।
6. राजकीय सम्प्रेक्षण गृह (बालक) इलाहाबाद।
7. राजकीय सम्प्रेक्षण गृह (बालक), वाराणसी।
8. राजकीय सम्प्रेक्षण गृह (किशोरी) ग़ाजियाबाद।
9. राजकीय पाश्चात्यवर्ती देख-रेख संगठन (किशोरी), वाराणसी।
10. राजकीय प्लेस आफ सेफ्टी (बालक) गाजीपुर।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

कार्यशाला का आयोजन-

इसके अंतर्गत "पारिवारिक/सामुदायिक देख-रेख, जोखिम से बचाव एवम् पुनर्वासन को बढ़ावा देते हुए कानून के सम्पर्क में आने वाले बच्चों, पारिवारिक संरक्षण एवम् देख-रेख से वंचित बच्चों, दत्तक-ग्रहण और न्यायपूर्ण पुनर्वासन के सन्दर्भ में कोचिंग संरचना, कोचिंग सिद्धांतों और मूल्यांकन में नैतिकता, सकारात्मक प्रतिक्रिया/सहयोग, संवर्धित कार्ययोजना इत्यादि का विकास के सन्दर्भ में दो दिवसीय कार्यशाला " का आयोजन किया जायेगा। ¼**Two Days Workshop for Development of coaching frameworks, coaching principles and ethics for assessment, constructive feedback, improvement plan etc of family/ community based care for Prevention and Rehabilitation of Children in Contact with the law, Children without Family Care, Adoption and Restorative Justice**½

उक्त कोचिंग प्रोग्राम कार्यक्रम के सफल संचालन हेतु निम्नलिखित विषयों के विषय विशेषज्ञों का निदेशालय स्तर पर एक पैनल गठित कर उनके माध्यम से कोचिंग प्रोग्राम का संचालन किया जायेगा।

- किशोर न्याय (बालकों की देख-रेख एवं संरक्षण) अधिनियम।
- संस्थागत देख-रेख एवं संरक्षण, संस्थागत मूल्यांकन एवं सहयोग, केस मैनेजमेन्ट कार्य आदि।
- दत्तक-ग्रहण तथा तत्संबंधित विधिक कार्य।
- प्रशासनिक एवं विधिक कार्य।

कोचिंग प्रोग्राम गतिविधि के अन्तर्गत कराये जाने वाले कार्य-

गतिविधि संख्या-1:-

- चयनित कोच/प्रशिक्षकों की समझ में समरूपता स्थापित करते हुए उनके सहयोग से संस्थागत स्तर पर प्रभावशाली देख-रेख एवं संरक्षण के लिए दो दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया जाना प्रस्तावित है। जिसके अंतर्गत कोचिंग संरचना, कोचिंग सिद्धांतों और मूल्यांकन में नैतिकता, सकारात्मक प्रतिक्रिया/सहयोग, संवर्धित कार्ययोजना इत्यादि की प्रणाली विकसित की जायगी।
- इस कार्यशाला के दौरान बच्चों के गुणवत्तापूर्ण जीवनशैली के विकास, संस्थागत स्तर पर वैकल्पिक देख-रेख एवं न्यायोचित पुनर्वासन के लिए उपयुक्त नवाचार प्रणाली के विकास पर भी ध्यान दिया जायगा।
- इस दो दिवसीय कार्यशाला के दौरान सहभागी प्रशिक्षण पद्धति अपनाते हुए विभागीय अधिकारी, यूनिसेफ के सलाहकारों के साथ मिलकर, सुगमकर्ता की भूमिका निभाते हुए विभिन्न विषय बिन्दुओं पर चरणवार विचार-विमर्श तथा अंतिम स्वरुप प्रदान करने का कार्य करेंगे।
- कार्यशाला के अंतिम चरण में चयनित कोच/प्रशिक्षकों द्वारा चयनित बाल-गृहों/ संस्थाओं के संवर्धन की कार्ययोजना का निर्माण किया जायगा।
- दो दिवसीय कार्यशाला में प्रतिभाग कर रहे कोच/प्रशिक्षकों को रु. 4000.00 प्रतिदिवस/व्यक्ति की दर से मानदेय एवम् रु. 4000.00 प्रतिदिवस/व्यक्ति की दर से

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

डी.एस.ए. दो कार्यशाला दिवस के लिए तथा यात्रा व्यय - स्थानीय यात्रा सहित (वास्तविक व्यय के अनुसार) प्रदान किया जायगा।

- प्रशिक्षण कार्यशाला पर व्यय यूनिसेफ द्वारा उपलब्ध करायी गयी धनराशि से किया जायेगा।

<u>गतिविधि संख्या-2:-</u>

इसके अंतर्गत "कोच/प्रशिक्षकों द्वारा कोचिंग कार्यक्रम के माध्यम से चयनित बाल-गृहों/ संस्थाओं के स्तर पर कार्यरत केस-वर्कर्स/अधीक्षकों/काउंसलर/ सामाजिक कार्यकर्ता आदि का केस-वर्क, व्यक्तिगत देख-रेख योजना, गेट-कीपिंग/वैकल्पिक देख-रेख के सन्दर्भ में क्षमातावर्धन के लिए कोचिंग कार्यक्रम का संचालन किया जाना प्रस्तावित है।

(Coaching Program for Capacity Enhancement of Case Workers/ Superintendents/Counsellors/Social Workers etc on Case Work, Individual Care Plan, Gate-keeping/Alternative Care)

- इस कार्य के सम्पादन के लिए कोच/प्रशिक्षकों द्वारा त्रैमासिक अन्तराल पर, उनके लिए निर्धारित, बाल-गृहों/संस्थानों का दो दिवसीय भ्रमण किया जाना प्रस्तावित है। जिस दौरान उनके द्वारा बाल-गृहों/संस्थानों के स्तर पर कार्यरत केस-वर्कर/ अधीक्षकों/काउंसलर/सामाजिक कार्यकर्ता आदि का, केस-वर्क, व्यक्तिगत देख-रेख योजना निर्माण एवम् गेट-कीपिंग/वैकल्पिक देख-रेख के सन्दर्भ में, सुगमकर्ता की भूमिका निभाते हुए क्षमातावर्धन का कार्य किया जायगा।
- यह अपेक्षित है कि कोच/प्रशिक्षकों द्वारा भ्रमण कार्य के सम्पादन के पश्चात एक लिखित रिपोर्ट विभाग को दी जायगी।
- कोचिंग कार्यक्रम के अंतर्गत बच्चों के लिए गुणवत्तापूर्ण सेवाओं के सशक्तिकरण की गम्भीरता को ध्यान में रखते हुए यह अपेक्षित है कि कोच/प्रशिक्षकों द्वारा दो दिवसीय भ्रमण के उपरान्त भी बाल-गृह/संस्थाओं, जिला बाल संरक्षण इकाई के साथ अन्य संचार माध्यमों से संवाद-सम्पर्क बनाए रखा जायगा तथा कार्यक्रम की आवश्यकता के अनुरूप सहयोग प्रदान किया जायगा।
- इस सन्दर्भ में यह भी अपेक्षित है कि बाल-गृह/संस्थाओं, जिला बाल संरक्षण इकाई तथा अन्य अधिकारियों द्वारा कोच/प्रशिक्षकों को पूर्ण सहयोग प्रदान किया जायगा तथा आवश्यकता के अनुरूप उनके द्वारा मांगी गयी सूचनाएँ उपलब्ध करायी जाएगी।
- कोचिंग कार्यक्रम की प्रगति, अद्यतन स्थिति की समीक्षा कार्याशाला के दौरान विकसित किये गए समीक्षा/मूल्यांकन प्रणाली के आधार पर विभाग के स्तर पर आयोजित समीक्षा बैठक के दौरान की जायगी।
- कोच/प्रशिक्षकों को कोचिंग कार्यक्रम के संचालन/सम्पादन के परिप्रेक्ष्य में किये जाने वाले त्रैमासिक दो दिवसीय भ्रमण के लिए रु.3000.00 प्रतिदिन/व्यक्ति की दर से मानदेय तथा रु.4000.00 प्रतिदिन/व्यक्ति के दर से डी.एस.ए. प्रदान किया जायगा। कोच/प्रशिक्षकों द्वारा बाल-गृहों/संस्थाओं के भ्रमण का यात्रा-व्यय (वास्तविक व्यय के

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

आधार पर) तथा स्थानीय यात्रा व्यय रु.1200.00 प्रतिदिन/व्यक्ति की दर से विभाग द्वारा वहन किया जायगा। उपरोक्त के अतिरिक्त, कोच/प्रशिक्षकों को अन्य व्यय (संवाद/स्टेशनरी/प्रिन्टिंग इत्यादि) के लिए रु.1000.00 प्रतिमाह/व्यक्ति की दर से प्रदान किया जायगा।

- इस कार्यक्रम पर व्यय यूनिसेफ द्वारा उपलब्ध करायी गयी धनराशि से किया जायेगा।

<u>गतिविधि संख्या-3:-</u>

इसके अंतर्गत चयनित बाल-गृहों/संस्थाओं के स्तर पर गुणवत्तापूर्ण देख-रेख एवं वैकल्पिक देख-रेख को बढ़ावा देने के लिए मेंटरिंग सहयोग ¼ **Mentoring Support to the CCIs for Promoting Alternate Care and Improving Quality Care in the Intervention CCIs**½ के लिए मेंटरिंग एजेन्सी को जोड़ना प्रस्तावित किया गया है।

- इस पहल के अंतर्गत बाल संरक्षण एवं देख-रेख के कार्य से जुड़े, स्थानीय स्तर पर कार्यरत, संस्थाओं/एन.जी.ओ./अनुभवी व्यक्तियों को बाल-गृहों/संस्थाओं के साथ जोड़ने की योजना बनायी गयी है। इस कार्य के लिए, विभाग द्वारा पूर्व में किये गए आदेश के अनुसार, चयनित बाल-मित्र संस्थाओं/अनुभवी व्यक्तियों को प्राथमिकता देना उपयुक्त होगा।
- इसके लिए आवश्यक होगा कि चयनित जिलों की जिला बाल संरक्षण इकाई द्वारा पूर्व में चयनित बाल-मित्र संस्थाओं/अनुभवी व्यक्तियों से सम्पर्क स्थापित किया जाय तथा उन्हें बाल-गृहों/संस्थाओं के स्तर पर उनके कार्य अनुभवों के आधार पर मेंटरिंग सहयोग प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित किया जायगा।
- इस कार्य के लिए बाल-गृहों/संस्थाओं के साथ जुड़ी बाल-मित्र संस्थाओं/अनुभवी व्यक्तियों को रु.5000.00 प्रतिमाह की दर से सहयोग राशि विभाग द्वारा प्रदान करना प्रस्तावित है।
- इस पहल से बाल-गृहों/संस्थाओं के स्तर पर देख-रेख एवं संरक्षण की स्थिति में आये गुणवत्तापूर्ण बदलाव की समीक्षा विभाग द्वारा समीक्षा बैठक के माध्यम से की जायगी।
- इस कार्यक्रम पर व्यय यूनिसेफ द्वारा उपलब्ध करायी गयी धनराशि से किया जायेगा।

कृपया उपरोक्तानुसार चिन्हित राजकीय गृहों में उपरोक्त अनुभवी कोचों के माध्यम से ऊपर वर्णित कार्यक्रमों को संचालित कराना सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीया,

(रेणुका कुमार)
अपर मुख्य सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या-1749(1)/60-1-2018 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, एस0आर0सी0डब्ल्यू0सी0, उ0प्र0।
2. वित्त नियंत्रक, महिला कल्याण निदेशालय, उ0प्र0।
3. सम्बन्धित जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
4. बाल संरक्षण विशेषज्ञ, यूनिसेफ, लखनऊ।
5. सुश्री सृष्टि बसाक, परामर्शदाता, यूनिसेफ, किशोर न्याय समिति, मा0 उच्च न्यायालय, खण्ड पीठ, लखनऊ।
6. सम्बन्धित अध्यक्ष, बाल कल्याण समिति, उ0प्र0।
7. सम्बन्धित प्रधान मजिस्ट्रेट, किशोर न्याय बोर्ड, उ0प्र0।
8. सम्बन्धित जिला परिवीक्षा अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
9. सम्बन्धित उपमुख्य परिवीक्षा अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
10. सम्बन्धित अधीक्षक, राजकीय बाल गृह/सम्प्रेक्षण गृह/दत्तक ग्रहण इकाई/पाश्चातवर्ती/प्लेस ऑफ सेफ्टी, उ0प्र0।
11. सम्बन्धित कोच/विषय विशेषज्ञ को अनुपालनार्थ।
12. गार्ड फाइल।

(रेणुका कुमार)
अपर मुख्य सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।